न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 03/2019

अनवानः–

सुमन पत्नी प्रेम कुमार जाति जाट सा. मकान नं0 8 गली नं0 1 नया चक विकास नगर श्रीगंगानगर तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गोलूवाला।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 354 दिनांक 11.05.17 ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितः– 1 श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलांट ।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज.)

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –21.02.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 7 बीएलडबल्यु प0नं0 40/247 कि0नं0 21/.025 ,22/.228, 23/0228 है0 कुल .483 है0 भूमि बलवंत राम पुत्र चानण दास जाति अरोड़ा सा0 गंगानगर के नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसे बलवंत सिंह ने अपनी कृषि भूमि का गैर मुमकिन वाणिज्यक प्रयोजनार्थ कार्यालय जिला कलकटर हनुमानगढ कमांक 1304 दिनांक 10.4.17 कार्यालय उप तहसीलदार गोलूवाला के पंजीयन कमांक 2017032881 दिनांक 25.4.17 के आदेशानुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ परिवर्तन करवा लिया जिसका इन्तकाल दिनांक 11.5.17 को स्वीकृत किया उसके पश्चात् उक्त परिवर्तित भूमि को अपीलांट ने जरिये बैयनामा खरीद की। अपीलाधीन इन्तकाल निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है

क– यह कि अपीलाधीन इन्तकाल कतई गलत, विधि विरूद्ध व रूहेदाद मिसल होने के कारण काबिल खारिजी के है।?

खः–यह कि संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10.4.17 के आदेशानुसार नायब तहसीलदार गोलूवाला ने अपीलाधीन इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में 11.5.17 को स्वीकृत फरमाया गया जिसमें अदालत मातहत ने इन्तकाल के कालम सं0 9 में मात्र गैर मुमकिन वाणिज्यक प्रयोजनार्थ दर्ज कर दिया जिसमें खातेदार बलवंत राम का नाम दर्ज ना कर अहम कानूनी व वाकेआती भूल की है।

ग–यह कि अपीलाधीन इन्तकाल में दर्ज वाणिज्यक प्रयोजनार्थ में परिवर्तित भूमि मुझ अपीलांट ने जरिये बैयनामा 15.10.17 को खरीद की है। उक्त बैयनामा के इन्तकाल हेतु नायब तहसीलदार गोलूवाला को प्रस्तुत किया जिसमें कालम सं. 16 में मात्र बैयनामा के अनुसार इन्तकाल दर्ज कर वास्ते जांच पेश किया गया बाद जांच दिनांक 4.1.16 को स्वीकृत फरमाया गया। परन्तु इन्तकाल के कालम सं0 9 में मुझ अपीलांट का नाम दर्ज ना कर अदालत मातहत ने अहम कानूनी व वाकेआती भूल की है। इन्तकाल सं. 354 से अपीलांट का नाम दर्ज करने की हद तक काबिल दुरूस्त किये जाने के है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

मुझ अपीलांट ने वर्णित भूमि जरिये बैयनामा खरीद की है। जिसमें अपीलांट का हित निहित हे। परन्तु कालम सं. 9 में मुझ अपीलांट का नाम अंकित नहीं होने के कारण मुझ अपीलांट के हित प्रभावी होते हैं। इसलिए अपील तृतीय पक्षकार के रूप में प्रस्तुत की जा रही है जिसके साथ प्रा0पत्र 96 सीपीसी सलंग्न है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 की तलबी जारी की गयी। रेस्पो0 की ओर से श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इन्तकाल तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही तर्क किया है कि कृषि से अकृषि (वाणिज्यक) का संपरिर्तन होने पर अपीलाधीन इन्तकाल में गै0मु0 वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया गया है। जो कि विधि अनुसार नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा यह परिवर्तित भूमि पूर्व खातेदार बलवंत राम से जरिये बैयनामा खरीद ली गयी है। इसलिए पूर्व खातेदार का नाम गै0मु0 वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के साथ दर्ज नहीं होने से अपीलांट के हित प्रभावी हो रहे है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त कर गै0मु0 वाणिज्यक के साथ अपीलांट का नाम दर्ज किया जावे। बहस के समर्थन में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलांट कथनों का विरोध करते हुए अपील अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उसके साथ सलंग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के सलंग्न बैयनामा फोटो प्रति दिनांक 16.10.18 से सिद्ध है कि प्रश्नगत आराजी अपीलांट द्वारा खरीद की गयी है। इसलिए प्रा0पत्र 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी का कृषि से वाणिज्यक प्रयोाजनार्थ परिवर्तन हुआ है। जिसका अपीलाधीन इन्तकाल सं0 354 दर्ज हुआ जिसमें मात्र गै0मु0 वाणिज्यक प्रयोजनार्थ अंकित कर दिया उसके साथ खातेदार का नाम अंकित नहीं किया है। परिवर्तित भूमि के सबंध में इन्तकाल दर्ज करने बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 द्वारा व्यवस्था दी गयी है। किन्तु चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय उक्त अधिसूचना का मण्तव्य समझने में राजस्व अधिकारियों द्वारा भूल की गयी है। रूपान्तरित भूमि में रूपान्तकार (खातेदार) के नाम का लोप करना उक्त अधिसूचना में निर्देशित नहीं किया है। जबकि चुनौतीग्रस्त इन्तकाल दर्ज करते समय खातेदार /रूपान्तरकार का नाम विलोपित कर दिया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन इन्तकाल में मात्र गै0मु0 उद्योग अंकित कर इन्तकाल स्वीकृत करना कानूनी भूल है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इन्तकाल सं. 354 चक 7 बीएलडब्ल्यु निरस्त किया जाता है। नायब तहसीलदार गोलूवाला को निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ 6(26) रेव–6/2014 /33 जयपुर दिनांक 06.10.16 के अनुसरण में इन्तकाल सं0 354 में गै0मु0 वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के साथ रूपान्तरकार (खातेदार) का नाम अंकित किया जावे व तत्पश्चात् क्रेता (अपीलांट) के नाम गै0मु0 वाणिज्यक प्रयोजनार्थ के साथ उसका नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार गोलूवाला को पालनार्थ प्रेषित की जावे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इन्ताकल वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़